



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 12 फरवरी, 2013 ई0

माघ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या 442/XII/2013/90(01)/2010

देहरादून, 12 फरवरी, 2013

अधिसूचना

कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2011 विषयक कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1412/XXX (2)/2011-3(1)/2006, दिनांक 21-11-2011 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 21-11-2011, में उल्लिखित समस्त प्राविधानों को जिला पंचायतों में कार्यरत दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं पर निकायों की सेवा शर्तों के नियम एवं विनियमों के अनुरूप लागू किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव।